

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2725-AZAD LUCKNOW POLYTECHNIC, LUCKNOW

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	45	45
2	ELECTRICAL ENGINEERING	45	45
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	45	45
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	45	45

सम्बद्धता हेतु शर्तें

संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

- ✓ संस्था के स्थायी निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0/ए0सी0आइ0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पू0सं0- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, AZAD LUCKNOW POLYTECHNIC, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय द्राप-

अखिल भारतीय जलजीवी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/जलजीवी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सन् 2020-21 हेतु किर्लोसा सराीय जलजीवी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत्न हुई। बैठक में सन्धि द्वारा सन् 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करते हुए सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मध-21 में किर्लोसा इन इंडीय पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सदन विचार-विमर्श का निम्नान्त निर्णय लिया गया :-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा सन् 2020-21 हेतु संस्था में संघटित पूर्व पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सन् 2020-21 हेतु एनआईसीटीआईओ द्वारा प्रदत्त प्रवेश क्षमता के अनुसार परिषद से सन् 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 से लखनऊ द्वारा सन् 2020-21 हेतु विभाजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं लाने अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईसीटीआईओ/द्वारा सन् 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	एनआईसीटीआईओ/परिषद द्वारा सन् 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2728	आर्य समाज लखनऊ प्राथमिक शिक्षा संस्था।	विभिन्न इंडीय पाठ्यक्रम सहित एन आईओ प्राथमिक शिक्षा इंडीय पाठ्यक्रम सहित इंडीय	80	80
			कंप्यूटर सहित एन आईओ प्राथमिक शिक्षा इंडीय	80	80
			विभिन्न इंडीय पाठ्यक्रम सहित इंडीय	80	80
			कंप्यूटर सहित एन आईओ प्राथमिक शिक्षा इंडीय	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एनआईसीटीआईओ/एनआईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय जलजीवी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय जलजीवी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा के प्रत्येक वर्ष के लिए लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सार्वजनिक द्वारा निर्मित किये जाने वाले सार्वजनिक सूचनाएँ होंगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीएल निर्धारित समिति द्वारा सन् 2020-21 हेतु पीएल का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएल की स्वीकृति देर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा जन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उपर्युक्त शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के विरुद्ध रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईसीटीआईओ/एनआईसीटीआईओ से जलजीवी सन् हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(Handwritten mark)

- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश शासन द्वारा बंधी गई विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बंधी गई विधियों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विवेक बंध्य होगा।
- ✓ विद्योपेक्ष इतनी पर्याप्त पाठ्यक्रम को संस्कार यदि बीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी दावा किया जाता है तथा दावा कर के संस्था में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्योपेक्ष इतनी पर्याप्त पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्याचारिका प्रारण होने से पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा आयोजन को सफल बनाना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (कार्याचारिका उ संचालन से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करवा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था जो अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचनाएँ, स्टाफ, साठ-संसाधन उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ विंग रोकने के संस्था में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था या सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बसावे जाने हेतु निर्देशन समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अधिलेख भूमि-दान, जमीन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त या प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सन्ध्यात संस्था विवेक जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सन्ध्यात कार्य का अनुपालन न किये जाने अथवा कार्य का सफलता किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(मानेन्द्र कुमार कर्माचारिका)
सचिव/सूत्र सचिव

पुं०सं०- प्राथम/परिषद सन्ध्यात/2020/ 1872-3141

तारीख: 15-09-2020

प्राथमिक-उत्तरांचल/निर्देशक, आचार्य सचनक प्राथमिक, लखनऊ।

(मानेन्द्र कुमार कर्माचारिका)
सचिव/सूत्र सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिन/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय झाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को आम्स, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आर्षेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के नव-5 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019-20 से संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों को बंद किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ए०आई०सी०ई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2720	आजरा लखनऊ पालीटेक्निक संस्थान	मेकैट्रिक इंजी० एंड इलेक्ट्रिक इंजी० डिप्लोमा इन एप्लाइड इंजी० सम्बद्धता के अन्तर्गत एक इंजी०	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एन० 1302 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसं० 1132 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अर्देशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य विचारणीय समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय जर्मनी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय जर्मनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही अत्यंत छूट/छाता से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त में अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सम्प-सम्प पर सतत एवं निरंतर ध्यान रखा जायेगा। संस्था द्वारा आसनादरता प्रणयों को भी पर्याप्त कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। संस्था द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है।